

25/4/25

गीता
Joshi
(Sharma)

पत्रावली पेश हुई। वारिजा एवं वारिजा
 अधिकारी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेक
 किया है कि प्रकरण वाजित। जवाब में कि
 है। दावा प्रस्तुत करते समय कुछ कमियाँ
 यह गयी, इस विषय में उम्ह दवे को विषय
 प्रसिद्ध विज्ञापन कराने की अनुमति प्रदान
 कराने की प्रार्थना की। वारिजा ने वार पत्र
 दिनांक 04.12.23 को नगर विकास आस व
 राजस्थान राज्य के विरुद्ध पेश किया।
 प्रतिवारीगण वाजित होकर प्राविवादीगण के
 जवाब में जैरका है। प्रकरण के सम्बन्ध
 में मौका एवं राजस्व रिक्ति की दिशि
 तहसीलदार भीलवाड़ा से तलवी में है।

वारिजा एवं वारिजा अधिकारी के
 प्रार्थना पत्र पर वार पत्र को विज्ञापन करने
 की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण वारिजा के स्वयं के प्रार्थना
 पत्र पर विज्ञापन के साधन पर वार पत्र
 में कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रकरण
 फैसल हुआ होकर नगर से कत किया
 जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा